राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र.सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता/ओआईसी का नाम
1.	1313/2022 विजेन्द्र कुमार गुप्ता	1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय, अलवर। 4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, हसनपुर माफी, तिजारा, अलवर।	18.04.2022	श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक एवं श्री सुरेश अग्रवाल/ श्री दलबीर सिंह, ओआईसी
2.	1314/2022 योगेश चन्द सैन	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 4. ब्लॉक माध्यमिक शिक्षा अधिकारी, तहसील रैणी, जिला अलवर।		
3.	1315/2022 रामकिशन सैन	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, लाडपुर, बानसूर, जिला अलवर।		
4.	4565/2022 प्रशान्त खण्डेलवाल	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 4. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक मुख्यालय, अलवर। 5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सैंथली, रामगढ़, जिला अलवर।	12.09.2022	
5.	4634/2022 सुखवीर सिंह	1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक मुख्यालय, सीकर। 4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक, पिपराली, जिला सीकर।	13.09.2022	श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक एवं श्री जगन्नाथ खांण्डपा, राजकीय अधिवक्ता
6.	1131/2023 रामप्रकाश नामा	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 से 2 3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय, बूंदी। 4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, केशोरायपाटन, वार्ड नं. 19, जिला बूंदी। 5. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक मुख्यालय, जिला बूंदी।	22.03.2023	श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक एवं श्री सुरेश अग्रवाल/ श्री दलबीर सिंह, ओआईसी
7.	1238/2023 प्रवीण कुमार मुन्दड़ा	1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय, भीलवाडा। 4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सुरावास, सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा। 5. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक मुख्यालय, जिला भीलवाड़ा।	10.04.2023	
8.	1412/2023 श्याम सिंह चौहान	1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय, अलवर। 4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सिरोडखुर्द, मुण्डावर जिला अलवर।	11.05.2023	
9.	1413/2023 अशोक कुमार यादव	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नांगल लाखा, बानसूर, जिला अलवर।	11.05.2023	
10.	1464/2023 नन्दलाल	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गढ़ी, थानागाजी, जिला अलवर।	24.05.2023	

11.	1503/2023 रतन सिंह	1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय, अलवर। 4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गिगलाना, नीमराना, जिला अलवर।	06.06.2023	श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक एवं श्री सुरेश अग्रवाल/ श्री दलबीर सिंह, ओआईसी
12.	1582/2023 धर्मेन्द्र कुमार	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 से 2 3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय, बारां। 4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बिलासगढ़, किशनगंज, जिला बारां।	22.06.2023	
13.	1583/2023 दिव्य कुमार पांचाल	1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय, बारां। 4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सकरावदा, किशनगंज, जिला बारां।	22.06.2023	
14.	1671/2023 बीरबल बडासरा	1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक मुख्यालय, सीकर। 4. प्रधानाचार्य/पीईईओ, आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भढाडर, धोद, जिला सीकर।	04.07.2023	श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक एवं श्री जगन्नाथ खांण्डपा, राजकीय अधिवक्ता
15.	2358/2023 शुभकरण नोलखा	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 से 2 3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय, भीलवाडा। 4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चावण्डिया, सहाड़ा, जिला भीलवाडा।	14.09.2023	श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक एवं श्री सुरेश अग्रवाल/ श्री दलबीर सिंह, ओआईसी

आदेश की दिनांक : 08.08.2024

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 1238/2023 प्रवीण कुमार मुन्दड़ा बनाम प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थीगण को निर्देश दियें जावें कि नियुक्ति दिनांक 04.04.1996 से गणना करते हुये 9, 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ समस्त एरियर सहित ग्रेड पे 4200, 4800 एवं 5400 में निर्धारित करते हुए

एरियर का भुगतान 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से दिलाए जाने का आदेश फरमाए जावें तथा प्रथम नियुक्ति दिनांक से वर्ष 2004 तक काल्पनिक वेतन वृद्धियां मय एरियर का भुगतान प्रत्यर्थीगण से दिलाया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह अभिकथन है कि अपीलार्थी की नियुक्ति जिला परिषद की स्थायी स्थापना समिति द्वारा अनुमोदन के पश्चात् मुख्य कार्यकारी अधिकारी/सचिव जिला परिषद, भीलवाडा द्वारा राजस्थान मृत कार्मिकों के आश्रितों की नियुक्ति नियमों के तहत मृतक आश्रित कोटे में चयन प्रक्रिया अपनाकर नियमित पद के विरूद्ध अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल प्रथम के पद पर की गई थी, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 04.04.1996 को अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल प्रथम के पद पर कार्यग्रहण किया। कार्यग्रहण करने के पश्चात् अपीलार्थी की सेवाओं को स्थायी किया गया तथा अपीलार्थी ने वर्ष 2004 में एस.टी.सी. योग्यता उत्तीर्ण की। प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को 10 वर्ष की सेवा पर राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.01.1992 के अनुसार अपीलार्थी को दिनांक 04.04.2006 से प्रथम नियुक्ति तिथी से गणना करते हुए प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया एवं 18 वर्ष की सेवा पर दिनांक 08.11.2022 से द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया। जबकि 27 वर्ष की सेवा दिनांक 04.04.2023 को पूर्ण होने के बावजूद आज तक उक्त लाभ का भुगतान नहीं किया गया है। परंतु प्रत्यर्थी विभाग ने आलोच्य आदेश दिनांक 04.01.2023 के द्वारा अपीलार्थी की सेवाओं की गणना एस.टी.सी. उत्तीर्ण करने की दिनांक से गणना करते हुए वेतन वृद्धि एवं 18 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया, जिसके क्रम में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। परंतु अपीलार्थी को आज दिनांक तक कोई लाभ प्रदान नहीं किया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी मृतक आश्रित सेवा नियमों के अनुसार नियमित नियुक्ति होने के कारण अपीलार्थी की सेवाओं की गणना कार्यग्रहण दिनांक 04.04.1996 से ही की जानी चाहिए। परंतु प्रत्यर्थी विभाग ने एस.टी.सी. उत्तीर्ण करने की दिनांक से सेवाओं की गणना करते हुए चयनित वेतनमान का लाभ देने का आदेश पारित किया। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने दिनांक 12.04.2002 को निदेशक को निर्देशित करते हुए आदेश जारी किए कि जो अध्यापक अप्रशिक्षित नियुक्त किए गए हैं, उनके संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि उन्हें प्रथम नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता एवं सेवा अनुभव का लाभ देय है। उक्त तथ्यों के बावजूद अपीलार्थी की नियुक्ति

नियमों के अनुसार रिक्त पद के विरूद्ध नियमित रूप से नियमित वेतन श्रृंखला में अप्रशिक्षित अध्यापक के रूप में की गई थी, जो एक नियमित पद है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 3661/1996 श्रीमती पुष्पलता टाडा व 41 अन्य बनाम राज्य सरकार में दिनांक 26.04.2001 को यह निर्धारित किया कि प्रत्यर्थी विभाग में सेवा नियमों के अनुसार अप्रशिक्षित अध्यापक नियुक्त करने का प्रावधान होने के कारण तथा अध्यापक की नियमित पदों के विरूद्ध नियुक्ति होने के आधार पर अध्यापक प्रथम नियुक्ति दिनांक से ही 9, 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अध्यापकों को प्रशिक्षण की दिनांक से 9, 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान देने का आदेश विधि विरूद्ध है, जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी सही माना है। इसके बावजूद भी प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को प्रथम नियुक्ति की दिनांक से चयनित वेतनमान का लाभ न देकर प्रशिक्षण प्राप्त करने की दिनांक से चयनित वेतनमान का लाभ दिया है, जो विधि के विरूद्ध है।

अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थीगण को निर्देश दियें जावें कि नियुक्ति दिनांक 04.04.1996 से गणना करते हुये 9, 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ समस्त एरियर सहित ग्रेड पे 4200, 4800 एवं 5400 में निर्धारित करते हुए एरियर का भुगतान 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से दिलाए जाने का आदेश फरमाए जावें तथा प्रथम नियुक्ति दिनांक से वर्ष 2004 तक काल्पनिक वेतन वृद्धियां मय एरियर का भुगतान प्रत्यर्थीगण से दिलाया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि नियम 9 प्रक्रियात्मक अपेक्षाएं आदि – प्रारंभिक नियुक्ति के समय चयन के लिए प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं जैसे प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा या टंकण परीक्षा पर जोर नहीं दिया जाएगा तथापि आश्रित से तीन वर्ष के भीतर स्थायीकरण के लिए हकदारी हेतु ऐसा प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा या टंकण उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जाएगी और ऐसा न होने पर उसकी नियुक्ति समाप्त होने के दायित्वाधीन होंगी। जब तक ऐसी अर्हता अर्जित नहीं कर लेता तब तक उसे कोई वार्षिक वेतन वृद्धि अनुज्ञात नहीं की जाएगी और अर्हता अर्जित करने पर उसे नियुक्ति की तारीख से काल्पनिक रूप से वेतन वृद्धियां अनुज्ञात की जाएगी, किंतु कोई बकाया संदत्त नहीं की जाएगी। अपीलार्थीगण के नियुक्ति आदेश में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि वह

तीन वर्ष के अंदर वांछित योग्यता अर्जित करेगा अन्यथा वह वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त करने योग्य नहीं होगा तथा माननीय उच्च न्यायालय के एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 6868/2016 मनोज कुमार बनाम राजस्थान राज्य का निर्णय प्रस्तुत किया तथा अपीलार्थी की अपील को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील के जवाब उल जवाब प्रस्तुत करते हुये कथन किया कि कार्मिक विभाग ने दिनांक 02.06.2020 (अनुलग्नक–10) में सभी विभागों को निर्देशित किया गया कि मृतक आश्रित कर्मचारी की नियमित नियुक्ति कार्यग्रहण करने की दिनांक से ही मानी जावेगी तथा माननीय उच्च न्यायालय के एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 4249/1997 रामचंद्र बनाम सरकार तथा एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 4091/2004 सीमा गर्ग बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 09.01.2017 तथा उक्त निर्णय की डी.बी.स्पेशल अपील संख्या 1135/2018 राजस्थान राज्य बनाम सीमा गर्ग के निर्णय दिनांक 25.09.2018 तथा माननीय उच्चतम न्यायालय की एसएलपी के निर्णय दिनांक 07.01.2021 का निर्णय भी खारिज की गई, जिसके द्वारा विभाग की एसएलपी को खारिज किया गया तथा सिंगल बेंच के आदेश को यथावत रखा गया तथा माननीय उच्च न्यायालय के एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 12575/2021 कुसुमलता सूर्यवंशी बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 25.04.2022 एवं एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 5580/1995 अजय शर्मा बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 21.08.1997 का निर्णय प्रस्तुत करते हुये कथन किया कि मृतक आश्रित सेवा नियमों के तहत नियुक्त कार्मिक की नियुक्ति नियमित नियुक्ति है। इसलिये चयनित वेतनमान का लाभ व वार्षिक वेतन वृद्धियां प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवाओं की गणना करते हुये अपीलार्थी उक्त लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण एवं प्रभारी अधिकारी को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीगण की नियुक्ति मृतक आश्रित कोटे में अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल प्रथम के पद पर हुई थी। यह नियुक्ति नियमित नियुक्ति है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा

अपीलार्थीगण को एस.टी.सी. प्रशिक्षण हेतु भेजा गया, जिस पर अपीलार्थीगण ने उक्त तालिका में अंकित अनुसार एस.टी.सी. प्रशिक्षण उत्तीर्ण किया। माननीय उच्च न्यायालय ने डब्ल्यू.एल.सी. 2003 यू.सी. पेज 677 गोविन्द सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एवं रामचन्द्र बनाम अधिशाषी अभियंता व अन्य के प्रकरण (डब्ल्यू. एल. सी. (राज.) 1999 (1) पेज 258) एवं डी.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 3661/1996 श्रीमती पुष्पलता टाडा व 41 अन्य बनाम राज्य सरकार में पारित आदेश दिनांक 26.04.2001 के निर्णय में आश्रित नियमों के अंतर्गत की गई नियुक्ति को नियमित नियुक्ति ही माना है। इसलिए हमारे विनम्र मत में उनकी सेवाओं की गणना कार्यग्रहण करने की तिथि से करते हुए अपीलार्थीगण चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 04.01.2023 उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलार्थीगण नियुक्ति तिथि से ही चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। इस प्रकार अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती हैं एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थीगण की सेवाओं की गणना प्रथम नियुक्ति की दिनांक से करते हुए 9, 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ एवं समस्त एरियर सहित पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें तथा प्रथम नियुक्ति दिनांक से एस.टी.सी. उत्तीर्ण करने की दिनांक तक काल्पनिक वेतन वृद्धि स्वीकृत की जावें तथा उक्तानुसार अपीलार्थीगण का फिक्सेशन करते हुये समस्त लाभ दिये जावें तथा चयनित वेतनमानों की वसूली नहीं की जावे। उक्त आदेश की पालना इस आदेश के जारी होने की दिनांक से तीन माह में सुनिश्चित की जावे।

मूल आदेश अपील संख्या 1238/2023 प्रवीण कुमार मुन्दड़ा बनाम प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य समस्त पत्रावलियों में इस आदेश की प्रति संलग्न की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य